फर्द अहकाम

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
5/11/19	पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 151 सि.प्र.सं. का जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस करने की अनुमति चाही गई। न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। न्यायालय की राय में वादीगण के अधिकारों की घोषणा से पूर्व कथित वसीयतों की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना विचारित वाद के निर्धारण के लिए आधार भूत है। अतः यह विचारित वाद संबद्ध सिविल न्यायालय में कथित वसीयतों की वैधता के निर्धारण संबंधी वाद के निर्णीत होने तक स्थगित किया जाता है एवं वादी पक्ष का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है। (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.19 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner